जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना कोतवाली शहर **दिनाँक- 07.03.2026**

थाना कोतवाली शहर द्वारा मु0अ0सं0 179/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तगण को चोरी की गई बैट्री सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 06.03.2026 को थाना कोतवाली शहर पर वादी श्री साजिद पुत्र मौ0 युसुफ निवासी मौहल्ला चाहशीरी B-24 लड़ापुरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की गाड़ी (रजि0 नं0 UP20BT9474) से बैट्री चोरी कर ली है।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 179/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही में अभियुक्तगण 1. फहीम पुत्र अलीमुददीन निवासी मौहल्ला चाहशीरी बी—24 लडापुरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर, 2. अकरम पुत्र अब्दुल शमी निवासी मौहल्ला बुखारा थाना कोतवाली शहर बिजनौर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 07.03.2026 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियुक्त में वांछित अभियुक्तगण 1.फहीम पुत्र अलीमुददीन निवासी मौहल्ला चाहशीरी बी—24 लडापुरा थाना कोतवाली शहर जिला बिजनौर, 2. अकरम पुत्र अब्दुल शमी निवासी मौहल्ला बुखारा थाना कोतवाली शहर बिजनौर जनपद बिजनौर को चोरी की गई बैट्री सहित गिरफ्तार किया गया तथा बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1.फहीम पुत्र अलीमुददीन निवासी मौहल्ला चाहशीरी बी—24 लडापुरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.अकरम पुत्र अब्दुल शमी निवासी मौहल्ला बुखारा थाना कोतवाली शहर बिजनौर जनपद बिजनौर

अभियुक्त फहीम का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 179/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 540/2025 धारा 305(ए)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

3.मु0अ0सं0 393/2023 धारा 380/411 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर।

4.मु0अ0सं0 1287/2014 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री उपेन्द्र मलिक थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2. है0का0 758 नासिर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
3. का0 119 अरशद, थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
4. का0 592 प्रवेश भारद्वाज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना स्योहारा दिनाँक- 07.03.2026

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 68/2026 धारा 126(2)/115(2)/352/351(3) बीएनएस से संबंधित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 06.03.2026 को वादी विजयपाल सिंह पुत्र सुखलाल सिंह निवासी ग्राम भोगपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1. समीर 2. गुलफाम पुत्रगण फुरकान निवासी ग्राम साफियाबाद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादी के साथ गाली गलौच व मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 68/2026 धारा 126(2)/115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

आज दिनांक 07.03.2026 को उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त गुलफाम पुत्र फुरकान निवासी ग्राम साफियाबाद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

गुलफाम पुत्र फुरकान निवासी ग्राम साफियाबाद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री शिवा नैन थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2.हे0का0 360 बृजपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेसनोट- थाना धामपुर **दिनांक 07.03.2026**

थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 068/2026 धारा 318(4)/351(3)/317(2) बीएनएस में वाछित 02 अभियुक्तो को धोखाधडी कर आभूषण सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.03.2026 को वादी ताजुद्दीन पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी ग्राम सुहागपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना धामपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.अदनान खान 2.मौ० आसिफ अंसारी पुत्र असरफ अली निवासी ग्राम सुहागपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर 3. मौ० कैफ मलिक पुत्र इशरत अली निवासी मौ० नई बस्ती नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पुत्र के साथ धोखाधड़ी कर रुपये व जेवरात ले लिये गये।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 68/2026 धारा 318(4)/351(3) बीएनएस बनाम अदनान खान आदि 03 नफर पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में मौ0 जाहिद पुत्र निजामुद्दीन निवासी मौ0 पहाड़ी दरवाजा थाना धामपुर जनपद बिजनौर का नाम भी प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 07-03-2026 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त 1.मौ0 जाहिद पुत्र निजामुद्दीन निवासी मौ0 पहाडी दरवाजा थाना धामपुर जनपद बिजनौर 2.आसिफ पुत्र असरफ निवासी ग्राम सुहागपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर को 02 कुण्डल (पीली धातु) एवं 01 गले की कंठी (पीली धातु), 02 कंगन (पीली धातु), 01 रानीहार सैट (पीली धातु) (जिसमे कान के 02 झुमके शामिल है) के साथ गिरफ्तार किया गय तथा बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 318(4)/351(3)/317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता –

1.मौ0 जाहिद पुत्र निजामुद्दीन निवासी मौ0 पहाडी दरवाजा थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2.आसिफ पुत्र असरफ निवासी ग्राम सुहागपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

02 कुण्डल एवं 01 गले की कंठी, 02 कंगन, 01 रानीहार सैट (जिसमे के कान के 02 झुमके शामिल है) (सभी आभूषण पीली धातु के है, जिनकी लगभग कीमत 15 लाख रुपये है)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री अश्वनी डिम्हा थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2.का0 2147 अंकित थाना थाना धामपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेसनोट-थाना चांदपुर **दिनांक 07.03.2026**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 109/26 धारा 70(1)/87/126(2)/115(2)/351(3) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया ।

घटना एंव कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 05.03.2026 को वादी द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त दानिश पुत्र शकील निवासी मोहल्ला सराय रफी, कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर उसकी बहन को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और रास्ते में सीसीटीवी कैमरे लगे होने के कारण कुछ दूरी तक अकेले जाने के लिए कहा । इसी दौरान अभियुक्त फैसल पुत्र गफ्फार निवासी मौ0 सरायरफी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर व उसके 02 अज्ञात साथियों द्वारा वादी की बहन को रास्ते में रोक लिया गया तथा अभियुक्त फैसल द्वारा वादी की बहन को अपने साथ ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई तथा उसके साथ गलत कार्य किया गया। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। जब उक्त घटना के संबंध में अभियुक्त दानिश उपरोक्त के परिजनों को बताया गया तो उनके द्वारा भी जान से मारने की धमकी दी गई।

उक्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 109/2026 धारा 87/126(2)/115(2)/70(1)/351(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 07.03.2026 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तगण दानिश व फैसल उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.दानिश पुत्र शकील निवासी मौ0 सराय रफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.फैसल पुत्र गफ्फार निवासी मौ0 सरायरफी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

अभि0 फैसल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0स0 109/2026 धारा 87/126(2)/115(2)/70(1)/351(3) बीएनएस थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0स0 457/25 धारा 115(2)/352/351(20 बीएनएस व 3/25 आर्मस एक्ट थाना चादपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1.प्रभारी निरीक्षक श्री अमित कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.का0 668 राजकुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

3.का0 1813 आदित्य मलिक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

4.का0 895 रणजीत मलिक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेसनोट-थाना नगीना **दिनांक 07.03.2026**

थाना नगीना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 56/26 धारा 103(1) बीएनएस व धारा 3/25/27(3) शस्त्र अधिनियम से संबंधित 03 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 05.03.2026 को समय करीब शाम 07:00 बजे अभियुक्त विकास उर्फ छोटू पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम तिबड़ी थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने फर्जी पैथोलॉजी रिपोर्ट दिखाने के बहाने शिवालय हेल्थ केयर सेंटर, नगीना स्थित अपने चैम्बर में बैठे डा० राजकुमार पुत्र धर्मपाल निवासी थाना नंदग्राम जनपद गाजियाबाद के पास जाकर रिपोर्ट दिखाते समय उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 56/26 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत कर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी एंव घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में 02 अन्य अभियुक्तगण आर्यन उर्फ राजन पुत्र सुनील कुमार निवासी मधी थाना धामपुर जिला बिजनौर हाल निवासी ग्राम जैतरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर व डा0 नीरज कुमार पुत्र भूपेन्द्र सिंह निवासी ग्राम तिबडा थाना धामपुर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आयें।

कार्यवाही-

आज दिनांक 07.03.2026 को थाना नगीना पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त 1.विकास उर्फ छोटू पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम तिबडी थाना धामपुर जनपद बिजनौर 2.आर्यन उर्फ राजन पुत्र सुनील कुमार निवासी मधी थाना धामपुर जिला बिजनौर हाल निवासी ग्राम जैतरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर व 3.डा0 नीरज कुमार पुत्र भूपेन्द्र सिंह निवासी ग्राम तिबडा थाना धामपुर जनपद बिजनौर को सहित गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1.विकास उर्फ छोटू पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम तिबडी थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2.आर्यन उर्फ राजन पुत्र सुनील कुमार निवासी मधी थाना धामपुर जनपद बिजनौर हाल निवासी ग्राम जैतरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3.डा0 नीरज कुमार पुत्र भूपेन्द्र सिंह निवासी ग्राम तिबडा थाना धामपुर जनपद बिजनौर

पुछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त विकास उर्फ छोटू ने बताया कि वर्ष 2018 में गाजियाबाद स्थित यथार्थ हॉस्पिटल में डा० नीरज (फिजिशियन) तथा डा० राजकुमार (पीडियाट्रिशियन) एक साथ कार्य करते थे और आपस में मित्र भी थे। इसके बाद वर्ष 2022 में दोनों ने मिलकर नगीना-धामपुर रोड, थाना नगीना क्षेत्र में सुमित्रा हॉस्पिटल खोला और आपस में यह बात तय हुई कि अस्पताल की आय से सबसे पहले डा० नीरज के लोन का भुगतान किया जाएगा, किन्तु आपसी मनमुटाव के चलते डा० राजकुमार वर्ष 2023 में बिना पूरा हिसाब-किताब किए अलग हो गए।

अलग होने के बाद डा० राजकुमार ने जनवरी 2024 में "शिवालय हेल्थ केयर सेन्टर" नाम से अपना अलग अस्पताल शुरू कर दिया, जिससे सुमित्रा हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की संख्या कम हो गई और दोनों के बीच आपसी विवाद एवं तनाव बढ़ गया। इसी रंजिश के चलते डा० नीरज कुमार ने डा० राजकुमार की हत्या करने की योजना बनाई।

पूछताछ में अभियुक्त विकास उर्फ छोटू ने बताया कि वह डा० नीरज के गांव का रहने वाला है और सुमित्रा हॉस्पिटल खुलने के बाद से उनकी गाड़ी चलाता था। लगभग 6 माह पूर्व से घटना को लेकर योजना बनाई जा रही थी, जिसकी जानकारी डा० नीरज द्वारा उसे दी गई थी तथा डा० राजकुमार की हत्या करने के लिए उसे ₹10 लाख देने तय किए गए थे, जिसमें से उसे लगभग ₹2,20,000/- अग्रिम मिल चुके थे तथा अभियुक्त विकास उर्फ छोटू ने घटना कारित करने के लिये तमंचा राजन से लिया था, जिसकी मुलाकात विकास उर्फ छोटू के दोस्त कार्तिकेय द्वारा राजन से कराई गई थी।

अभियुक्त विकास उर्फ छोटू ने बताया कि दिनांक 05.03.2026 को सायं समय उसने शिवालय हेल्थ केयर सेंटर, नगीना में फर्जी पैथोलॉजी रिपोर्ट दिखाने के बहाने डा० राजकुमार के चैम्बर में जाकर उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी तथा घटना के बाद पुलिस से बचने का प्रयास कर रहा था।

बरामदगी का विवरण –

1. 01 अदद तमंचा देशी 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
2. 01 पिस्टल 32 बोर व 02 कारतूस
3. ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये) नकदी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.थानाध्यक्ष अवनीत मान थाना नगीना जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 सुक्रमपाल राणा थाना नगीना जनपद बिजनौर
3.उ0नि0 अजीत कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
4. हे0का0 441 वरूण कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
5. हे0का0 638 अंकित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
6. कां0 1834 सचिन कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
7. कां0 1056 अंकित सैलानिया थाना नगीना जनपद बिजनौर
8. कां0 1591 प्रदीप कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
9. हे0का0628 जोगेन्द्र कुमार सर्विलॉस सेल जनपद बिजनौर
10. कां0 2249 विशाल तोमर सर्विलॉस सेल जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेसनोट-थाना नहटौर **दिनांक 07.03.2026**

थाना नहटौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 66/2026 धारा 103(1)/115(2)/352 बीएनएस व धारा 3/25/27(3) शस्त्र अधिनियम से संबंधित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल सहित गिरफ्तार किया गया।

घटना एंव कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.03.2026 को वादी श्री फकीरचन्द पुत्र स्व0 सुखराम सिंह निवासी ग्राम फुलसन्दा हीरा थाना नहटौर जनपद बिजनौर द्वारा थाना नहटौर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त सजल कुमार पुत्र शीतल कुमार निवासी उपरोक्त वादी की पुत्री/अपनी पत्नी भावना के साथ घरेलु विवाद के चलते मारपीट कर रहा था। इस दौरान जब भावना उपरोक्त की मां बबली उर्फ काली बीच-बचाव कराने आई, तो अभियुक्त सजल ने वादी की पत्नी बबली उर्फ काली के साथ गाली-गलौच करते हुए उसके सिर में तमन्चे से गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।

सूचना पर थाना नहटौर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त सजल कुमार उपरोक्त को मौके से आलाकत्ल 01 तमंचा सहित गिरफ्तार किया गया तथा इसके अतिरिक्त 01 तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर अभियुक्त सजल उपरोक्त की निशादेही पर उसके घर से भी बरामद हुआ।

इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 66/2026 धारा 103(1)/115(2)/352 बीएनएस बनाम अभियुक्त सजल कुमार उपरोक्त पंजीकृत किया गया तथा उक्त बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 3/25/27(3) शस्त्र अधिनियम की वृद्धि की गई। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सजल कुमार पुत्र शीतल कुमार निवासी ग्राम फुलसन्दा हीरा थाना नहटौर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभि0 अमरपाल उपरोक्त –

1.मु0अ0सं0 114/2021 धारा 363,366,376 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना नहटौर जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 211/2024 धारा 323,324,336,452,504 भादवि थाना नहटौर जनपद बिजनौर
3.मु0अ0सं0 143/2024 धारा 366 भादवि थाना नहटौर जनपद बिजनौर
4.मु0अ0सं0 66/2026 धारा 103(1)/115(2)/352 बीएनएस व धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना नहटौर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण –

02 तमंचे 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.निरी0 अपराध/थाना प्रभारी श्री विपिन कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर
2.हे0का0 549 विकास कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर
4.हे0का0 480 सतीश कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर
4.हे0का0 राकेश वर्मा यू0पी0 112 थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
5.का0 01 नीरज कुमार यू0पी0 112 थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर